

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 36/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2018

सा.का.नि.(अ)—जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 8517 70 10 के अंतर्गत आने वाले पोपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ।

अतः, अब, केन्द्र सरकार, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, खंड XVI में, अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8517 70 10 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "10%" को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं. 354/20/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार